

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 544 / 11-सी-FP/UP/Road/121267/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 13, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अंतर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी० 0.00 से 40.150 तक के मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी० 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293 हे० आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/292/2022/एफ०सी०/106, दिनांक 04.05.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-602/मी०क्षे०/33, दिनांक 08.08.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-602/मी०क्षे०/33, दिनांक 08.08.2025 द्वारा इस कार्यालय को अपलोड कर प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 544 / 11-सी-FP/UP/Road/121267/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत प्रकरण के अद्यतन स्थिति को वन विभाग के वेबसाइट पर बनाये गये पोर्टल पर Proposal का विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस० खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 602 /मी0क्ष0/33, मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 08, 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अंतर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफ.सी./106, दिनांक 04.05.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक-3516/11-सी-FP/UP/Road/121267/2021, दिनांक 08.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 04.05.2023 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-279/सोनभद्र/33, दिनांक 06.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वांछित बिन्दुवार, अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एतदसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृती (स्टेज-2) जारी कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 602 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, ^{संशोधित} सोनभद्र।

पत्रांक— 239 / सोनभद्र / 33 दिनांक अगस्त, 06 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय :- जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ :-**
- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8वी/यू0पी0/06/292/2022/एफ0सी0/106 दिनांक 04.05.2023
 - (2) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र का पत्रांक—1093/यू0पी067148 दिनांक—08.11.2023।
 - (3) इस कार्यालय का पत्रांक—1106/33/सोनभद्र दिनांक—04.01.2024।
 - (4) कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग का पत्रांक—317/कैमूर/33-1, मीरजापुर दिनांक—31.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी अनुपालन संलग्नकर आपकी सेवा में निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 18.1593 ha. non forest land Khasara no. 722, 719ka, 702ch, 768ga, 541ka, 718g in Village Baijnath District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे0 के सापेक्ष इस वन प्रभाग अन्तर्गत प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि 18.5193हे0 पर क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोग कर मुख्यतः स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण कराया जायेगा।
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, तथा उक्त भूमि के विभाग के कब्जे में होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

4	<p>The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance AIP</p>	<p>सुअरसोत से सिरसिया सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 11.79 हे० वन भूमि एवं भदई अरार से मकरीवाशी मार्ग में प्रभावित 18.5193 हे० वनभूमि के सापेक्ष पटना रेंज के ग्राम-वैजनाथ अन्तर्गत प्राप्त कुल-30.3093हे० गैर वनभूमि का असाधारण गजट संख्या-12/81-2-2025-29(12)-2025 दिनांक-21.07.2025 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के गजट की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)</p>
5	<p>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण एवं बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु सर्वे एवं इण्टीकेंटर की अंकित निर्धारित धनराशि रू० 4312450.00 (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं रू० 18217.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा करा दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)</p>
6	<p>The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 18.5193 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की धनराशि रू० 17326241.00.00/- (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं रू० 6730512.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)</p>
7	<p>Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)</p>
8	<p>The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-7)</p>
9	<p>User agency shall restrict the felling of trees to 98 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of tress shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 98 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि रू० 50274.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं वृक्षों की संख्या न्यूनतम है जिनका पातन वन विभाग के निरीक्षण में किया जायेगा। (डी०डी० की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-8)</p>

	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
11	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में रोड साइड पट्टी पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि ₹0 28052800.00/- (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं ₹0 4935031.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-11)
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
14	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
15	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
16	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
17	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
18	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाउ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
21	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटनिर्मनस होगी।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)

24	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be Uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	Any order of Temporary work permission in linear project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this Office order to temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिये अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुये उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
26	Violation any of these condition will amount to violation of Forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29.01.2018	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
27	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulated from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से उ० प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दिया गयी है।
29	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संख्या- 279 अ/समादिनांक।

प्रतिलिपि-अधिशारी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को इस आशय

के साथ प्रेषित कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।